विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2970 के प्रश्नांश ग का परिशिष्ट "अ"

प्रश्नकर्ता– माननीय श्रीउमंग सिंघार

सदन में उत्तर देने का दिनांकः–06 / 08 / 2025

(कुल पृष्ठ संख्या–2)

मातृ मृत्यु दर नियंत्रण करने हेतु निम्न गतिविधियां संचालित है–

- **मातृ शिशु संजीवन मिशन** :- दिनांक 07 अप्रैल 2025 को मातृ शिशु संजीवन मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कंमी लाई जा रही है।
- **अनमोल 2.0** :- विभाग द्वारा संचालित डिजीटल प्लेटफार्म अनमोल 2.0 का शुभारंभ दिनांक 07 अप्रैल 2025 को किया गया, जिसका उददेश्य गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रेकिंग और प्रबंधित करना है। पोर्टल में दर्ज डाटा के आधार पर जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि का समग्र आई.डी. से जुडे आधार लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) करना।
- **महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार**– गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक महिला की हिमोग्लोबिन जांच समुदाय एवं संस्था स्तर पर की जाती है तथा परिलक्षित हिमोग्लोबिन के परिणाम के आधार पर गर्भवती महिला का उपचार एवं प्रबंधन किया जाता है। एनीमिया के रोकथाम एवं उपचार के लिये उप स्वास्थ्य केन्द्र (AAM/HWC) स्तर पर इंजेक्शन आयरन सुक्रोज तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा इंजेक्शन एफसीएम एनीमिया प्रबंधन हेतु प्रयोग में किया जा रहा है। HPD एवं Aspirational जिलों में गर्भवती महिलाओं को टेबलेट फेरस एसकॉरबेट का वितरण किया जा रहा है जिससे गर्भवती महिलाओं में आयरन का बेहतर अवशोषण हो।
- **विस्तारित–प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** (e-PMSMA) :- चिन्हांकित 658 स्वास्थ्य संस्थाओं पर पी.एम.एस.एम.ए. एवं ई.पी.एम.एस.एम.ए. कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिमाह 9 एवं 25 तारीख को स्वास्थ्य संस्थाओं पर विशेषज्ञों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है जिसमें उच्च जोखिम वाली महिलाओं का चिन्हांकन होने पर आवश्यकतानुसार उपचार किया जाता है।
- **डिलेवरी पाईन्ट** :- प्रसव केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के उददेश्य से नवीन 129 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रसव केन्द्रों के रूप में चिन्हांकित किया गया है जिससे वर्तमान में प्रदेश में चिन्हांकित कुल प्रसव केन्द्रों की संख्या 1884 है।
- 24 घंटे सिजेरियन सेक्शन करने हेतु एफआरयू की क्रियाशीलता– प्रदेश में 155 स्वास्थ्य संस्थाओं को एफआरयू के रूप में चिन्हांकित किया गया है, जहां पर 24 घंटे आपातकालीन प्रसूति सेवाऐं प्रदान की जाती है। विशेषज्ञों की उपलब्धता हेतु राज्य द्वारा You Quote We Pay योजना के अंतर्गत विशेषज्ञों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जा रही है।
- **बर्थ वेटिंग होम** :- उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली एवं ऐसे गाँव जहाँ अधिक होम डिलीवरी हो रही हो, वहाँ की महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि के पूर्व समीपस्थ चिन्हित जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक

(डॉ. अर्चना मिश्रा)
वरि. संयुक्त संचालक
मातृ स्वास्थ्य, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

स्वास्थ्य केंद्र के बर्थ वेटिंग होम में भर्ती किया जाना है, इस हेतु सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को भर्ती हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

- **लक्ष्य कार्यक्रम**– स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्ता मानको को दृष्टिगत रखते हुये लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत 183 लेबर रूम एवं 54 मेटरनिटी ओ.टी. का राष्ट्रीय प्रमाणीकरण किया गया है।
- **अ०ब्सटेट्रिक आईसीयू** – प्रदेश में 35 जिला चिकित्सालय एवं 5 मेडिकल क०लेज में अ०ब्सटेट्रिक आईसीयू स्थापित, जिनका उददेश्य गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का प्रबंधन किया जाना है।
- **स्किल्स लैब** – स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल में वृद्धि करने हेतु स्किल्स लैब प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय में संचालित है। साथ ही 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में एडवांस स्किल्स लैब की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- **सुमन कार्यक्रम**– राज्य स्तर पर सुमन कार्यक्रम अंर्तत राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कंमाड कंट्रोल सेंटर तथा जिला स्तर पर 6 मेडिकल क०लेज तथा 51 जिला चिकित्सालय में सुमन हेल्प डेस्क का संचालन कर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की ट्रेकिंग कर उचित समय पर प्रबंधन करने हेतु फ०लोअप किया जा रहा है तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था की जा रही है।
- मिडवाईफरी सेवाओं के अंतर्गत National Midwifery Training Institute जबलपुर में स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत Nurse Practitioner Midwifery Educator (NPME) का प्रशिक्षण प्रारंभ।
- गर्भावस्था में Sickle Cell Disease की Screening प्रारंभ की गई एवं चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रारंभ किया गया।
- **मातृ मृत्यु समीक्षा** :– प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरणों की संभाग एवं राज्य स्तर पर समीक्षा की जा रही है, जिससे मातृ मृत्यु के कारणों को ज्ञात कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कारणों की पुर्नवृत्ति ना हो साथ ही मातृ मृत्यु में कमी की जा सके।
- **मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना**– का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरांत टीकाकरण को समुचित बढावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु 16000/- रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रावधानित है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 10.07 लाख हितग्राहियों को राशि रू. 810.36 करोड भुगतान किया गया है।
- **जननी सुरक्षा योजना**– योजनांतर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को राशि रूपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रूपये 1000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 9.16 लाख हितग्राहियों को राशि रू. 124.37 करोड भुगतान किया गया है।

(डॉ. अर्चना मिश्रा)
वरि. संयुक्त संचालक
मातृ स्वास्थ्य, एन.एच.एम.
भोपाल